

378
46

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष महोदय जी स्वीकृति से, मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 238 दिनांक 20.8.1999 द्वारा निर्धारित भूमि एवं विकास दर, विन्की वेधता अर्थात् 30.6.2001 तक बढ़ाई गई थी, उनकी वेधता अर्थात् दिनांक 31.7.2001 तक बढ़ाई जाती है ।

वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दरें पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एक-2131/लागत/1015/बी/376 दिनांक 18.9.2000 के अनुसार 10% वृद्धि सहित ही प्रभावी रहेंगी । यदि आदेश 20.8.1999 के अनुसार 30.6.2001 तक बढ़ाई गई है ।

नोट:- भूमि एवं विकास दर के लागू आंकड़े, उस पर किये गये ऐसे किये जाने वाले कर््यों सहित 1जून-2001 तक, पॉथ दिवाल में निश्चित रूप से प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम विस्तृत कार्य हेतु भूमि एवं विकास दर निर्धारित की जा सके ।

चि० न० एवं मुद्राधिकारी
राज० आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक:- एक-2131/लागत/1015/ 149 दिनांक:- 6.7.2001

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निधि सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सूक्ष्म अभियन्ता, राज० आवासन मण्डल
- 2- निधि सहायक सचिव/सूक्ष्मकार्यकारी/वरिष्ठ निदेशकारी-ग्राम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- निधि सहायक अति-सूक्ष्म अभियन्ता-जोधपुर/द्वितीय/तृतीय, राज० आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 4- सूक्ष्म सम्यदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्यदा प्रबन्धक (समस्त), राज० आवासन मण्डल, -----
- 6- उप आवासन आयुक्त (समस्त), राज० आवासन मण्डल, -----
- 7- आवासीय अभियन्ता (समस्त), राज० आवासन मण्डल, -----
- 8- मास्टर कार्डन ।


चि० न० कार्यालयी मुद्रा

पृष्ठ
384
47

:: कार्यालय - आदेश ::

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से, मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 238 दिनांक 20.8.1999 द्वारा निर्धारित भूमि एवं विकास दर, जिसकी वैधता अवधि 31.7.2001 तक बढ़ाई गई थी, उनकी वैधता अवधि दिनांक 30.6.2002 तक बढ़ाई जाती है ।

वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दरों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एर/2/3/लागत/1015/सी/376 दिनांक 18.9.2000 के अनुसार 10% छूटि सहित ही प्रभावी रहेगी । यदि पूर्व प्रेषित ऑफरों के अलावा किसी योजना में वर्ष 2001-2002 जून तक कोई व्यय किया जाता है भूमि एवं विकास दर संशोधन करने के प्रस्ताव अभीष्ट आदेश कर्ता को तत्काल भिजवायें ।


चि 80 एवं मुख्यलेखाधिकारी


राज्य आवास मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक: -एर/2/3/लागत/1015/238

दिनांक: - 31/8/2001

प्रतिलिपि: -सूचनायें एवं आंतरिक कार्यावाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज्य आवास मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज्य आवास मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियंता/अति. सु. अभियंता-जोधपुर/द्वितीय/तृतीय, राज्य आवास मण्डल, जयपुर ।
- 4- प्रथम सहायक प्रबन्धक, राज्य आवास मण्डल, जयपुर ।
- 5- सहायक प्रबन्धक (समस्त) राज्य आवास मण्डल,
- 6- समस्त उप आवासन आयुक्त, राज्य आवास मण्डल,
- 7- समस्त आवासीय अभियंता, राज्य आवास मण्डल,
- 8- राज्य आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, मानसरोवर; -मानसरोवर योजना हेतु आदेश जलन से प्रसारित किये जायेंगे ।


वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथम।

HR
etc

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-एफ283/लागत/2003-04/1024/169

दिनांक:- 5-7-2003

-:: कार्यालय आदेश ::-

मण्डल के अधिकारियों के साथ दिनांक 5-7-2003 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मण्डल की निम्न आवासीय योजनाओं की लागत वेधता अवधि दिनांक 30-6-2003 को समाप्त हो चुकी है, उनको वेधता अवधि पूर्व शर्तों के अनुसार दिनांक 15-8-2003 तक बढ़ाई जाती है।

सभी उप आवासन आयुक्तों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उनके वृत्त में उपलब्ध आवासों का शीघ्रतः शीघ्र निस्तारण की सुनिश्चितता की जावे।

आवासन आयुक्त

प्रतिज्ञापन पत्र को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2- निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय /तृतीय, राज.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 5- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी-वसूली, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8- समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, सण्ड-----
- 9- सम्पदा प्रबन्धक-----
- 10- रक्षित पत्रावली।

व.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 238 दिनांक 20.8.1999 द्वारा निर्धारित भूमि एवं विकास दर, जिनकी वैधता अवधि 30.6.2002 तक बढ़ाई गई थी, उनकी वैधता अवधि दिनांक 30.6.2003 तक बढ़ाई जाती है। वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दरें पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ-2/3/लागत/1015"बी"/376 दिनांक 18.9.2000 के अनुसार 10% वृद्धि सहित गणना कर सूची हंगित की गई है।

क्र.सं.	योजना का नाम	आवासीय मध्यम आय- वर्ग "अ"	वाणिज्यिक
1.	प्रताप नगर, साँगाँनेर	685/-	3245/-
2.	मानसरोवर, जयपुर	1160/-	4985/-
3.	टोंक	675/-	2900/-
4.	वन लिटार, जयपुर	340/-	1615/-
5.	नाहरी का नाका, जयपुर	960/-	4555/-
6.	लाल कोठी, जयपुर	1145/-	5415/-
7.	घाट की गुणी, जयपुर	340/-	1615/-
8.	मालवीय नगर, जयपुर	1090/-	5160/-
9.	जवाहर नगर, जयपुर	1185/-	5610/-
10.	सीकर	455/-	2150/-
11.	शिवसिंहपुरा सीकर	540/-	2320/-
12.	ग्रूरु	अलग से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।	
13.	इन्द्रगु	660/-	2840/-
14.	सी.ई.बी., अलवर	560/-	2665/-
15.	एस. डब्ल्यू. बी., अलवर	455/-	2150/-
16.	10 बी, अलवर	455/-	2150/-
17.	एन.ई.बी. विस्तार, अलवर	520/-	2475/-
18.	एन.ई.बी.कम्पनी., अलवर	660/-	3140/-

.....2/

K114/03
7/03

19.	शान्ताकुन्ज, अलवर	580/-	2750/-
20.	एन. ई. बी., अलवर	520/-	2475/-
21.	कृष्णानगर, भरतपुर	405/-	1935/-
22.	एस. टी. टी., भरतपुर	600/-	2840/-
23.	जवाहर नगर, जयपुर	1080/-	5115/-
24.	सवाईमाधोपुर	390/-	1850/-
25.	भिक्षाड़ी	580/-	2750/-
26.	मिलकपुर गुर्जर, भिक्षाड़ी	865/-	3720/-
27.	भिक्षाड़ी सेक्टर 4 व 7	860/-	4085/-
28.	धीलपुर	550/-	2365/-
29.	गुप्तेश्वर रोड, दौसा	395/-	1870/-
30.	आनासागर, अजमेर	500/-	2365/-
31.	वैशाली नगर, अजमेर	560/-	2365/-
32.	अजयनगर, अजमेर	500/-	2365/-
33.	धीलाभाटा, अजमेर	355/-	1700/-
34.	नाकामदार, अजमेर	550/-	2600/-
35.	पंचशील, अजमेर	585/-	2775/-
36.	दौराई, अजमेर	530/-	2515/-
37.	किशनगढ़	565/-	2365/-
38.	किशनगढ़ विस्तार	565/-	2365/-
39.	साकेतनगर, ब्यावर	295/-	1400/-
40.	साकेतनगर विस्तार, ब्यावर	380/-	1805/-
41.	गढ़ीधीरियन, ब्यावर	445/-	2105/-
42.	चौषातनी रोड, जोधपुर	670/-	6000/-
43.	प्रतापनगर, जोधपुर	670/-	3180/-
44.	मधुवन, जोधपुर	360/-	1400/-
45.	भगत की कोठी, जोधपुर	670/-	3180/-
46.	हुड़ीभगतातनी, जोधपुर	395/-	1720/-
47.	बामेतरा (बालोतरा)	330/-	1570/-
48.	शिक्षाना	255/-	1205/-
49.	सूरतगढ़	265/-	2450/-
50.	नागौर	450/-	2130/-
51.	तिरोही	280/-	1335/-

Kalyan

52.	सुमेरपुर	255/-	1205/-
53.	कमला नेहरू नगर, पाली	310/-	1485/-
54.	नई आवासीय योजना, पाली	260/-	1250/-
55.	श्यामनगर, श्रीगंगानगर	340/-	1615/-
56.	जवाहर नगर, श्रीगंगानगर	305/-	1440/-
57.	हनुमानगढ़	270/-	1290/-
58.	पवनपुरी, बीकानेर	575/-	2730/-
59.	मुक्ताप्रशाद, बीकानेर	480/-	2280/-
60.	पवनपुरी विस्तार, बीकानेर	575/-	2730/-
61.	हिरण्मगरी, उदयपुर	765/-	3630/-
62.	गोवर्धनविलास विस्तार, उदयपुर	850/-	4020/-
63.	गोवर्धन विलास, उदयपुर	765/-	3630/-
64.	पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर	765/-	3630/-
65.	पानेरियों की मादड़ी वि., उदयपुर	780/-	3695/-
66.	प्रतापनगर, उदयपुर। सि. समाज।	620/-	2945/-
67.	नाथदारा	355/-	1675/-
68.	गोविन्दनगर, राजसमंद	320/-	1525/-
69.	डूंगरपुर	600/-	2580/-
70.	इन्दिरानगर, डूंगरपुर	600/-	2580/-
71.	विद्याजी नगर विस्तार फेज-द्वितीय	600/-	2580/-
72.	डूंगरपुर	600/-	2580/-
73.	प्रतापगढ़	330/-	1570/-
74.	माहीकॉलोनी, बाँसवाड़ा	395/-	1870/-
75.	माहीतरोवर, बाँसवाड़ा	415/-	1980/-
76.	माही कॉलोनी विस्तार	660/-	2840/-
77.	शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	415/-	1980/-
78.	शास्त्रीनगर विस्तार, भीलवाड़ा	415/-	1980/-
79.	बापूनगर, भीलवाड़ा	330/-	1570/-
80.	चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा	330/-	1570/-
81.	कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़	355/-	1725/-
82.	प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़	365/-	1740/-

Kityam

.....4/

51

83.	बापुनगर, चित्तौड़गढ़	380/-	1805/-
84.	चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	410/-	1955/-
85.	गाँधीनगर, चित्तौड़गढ़	410/-	1955/-
86.	सैती, चित्तौड़गढ़। रम. रफ. एस.।	560/-	266 /-
87.	सैती। सेगवारोड़ा। चित्तौड़गढ़	340/-	1615/-
88.	रायला	265/-	1270/-
89.	गुलाबपुरा	315/-	1505/-
90.	निम्बाहेड़ा	280/-	1335/-
91.	दादाबाड़ी, कोटा	765/-	3635/-
92.	दादाबाड़ी विस्तार, कोटा	765/-	3635/-
93.	तलवण्डी, कोटा	560/-	266 /-
94.	केशीपुरा, कोटा	500/-	2365/-
95.	वल्लभबाड़ी, कोटा	785/-	3720/-
96.	विज्ञाननगर, कोटा	765/-	3635/-
97.	महावीर नगर, कोटा	560/-	266 /-
98.	गणेशालाब, कोटा	585/-	2775/-
99.	साधरमती, कोटा	765/-	3635/-
100.	रंगबाड़ी, कोटा	710/-	3375/-
101.	सकतपुरा, कोटा	90/-	430/-
102.	कुन्हाड़ी, कोटा	790/-	3395/-
103.	जवाहर नगर, बुँदी	460/-	2195/-
104.	विकास नगर, बुँदी	365/-	1740/-
105.	स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा	560/-	2410/-
106.	भयानी मण्डी	380/-	1805/-
107.	सुनेल	425/-	2020/-
108.	रामगंजमण्डी	315/-	1740/-
109.	बौरा	355/-	16 /-
110.	झालावाड़	415/-	1980/-
111.	आलनपुर, सवाईमाधोपुर	480/-	2280/-
112.	आकराभाटा, आबू रोड़	390/-	1680/-
113.	इन्दिरा नगर, जगतपुरा	815/-	3505/-

नूतन : नये अकॉर्डे प्राप्त हुए हैं अतः भूमि एवं विकास दर का निर्धारण कर पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

42

53

नोट:- यदि पूर्व प्रेषित ऑर्डरों के अलावा किसी योजना में वर्ष 2002-03
जन-2003 तक कोई व्यवसाय किया जाना है, तो भूमि एवं विकास दर
संशोधित करने के प्रस्ताव अविलंब अर्थात् असाधारणतः की तत्काल भिन्नताएं।

उपरोक्त भूमि एवं विकास दरों निम्न शर्तों के साथ लागू मानी जावेगी :-

1. उपरोक्त आरक्षित हों। निम्न शर्तों के साथ लागू मानी जावेगी :-
आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 10% की एवं
अच्छ आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 5% की छूट दी जावेगी। मध्यम
आय वर्ग "ब" एवं उच्च आय वर्ग हेतु उपरोक्त में क्रमशः 5% व 10% की
वृद्धि की जावेगी।
2. भूमि एवं विकास दर की लागत गणना करने समय उपरिखण्ड वगणितार
वसूल किये जावेंगे।
3. आवासीय भूमि के लिए लीज रेशि 2.5% होगी। वाणिज्यिक भूमि के
लिए लीज रेशि 5% की जावेगी। लीज की रेशि आवात/भूखण्ड के
कब्जे की तिनांक से नियमानुसार वसूलनीय होगी।
4. अतिरिक्त भूमि हेतु एवं विकास दर की गणना निर्धारित दर की 50%
अतिरिक्त वसूलनीय होगी।
5. आवासीय भूखण्ड की नीलामी हेतु सम्बन्धित श्रेणी के भूखण्ड की आरक्षित
दर हेतु निर्धारित आरक्षित दर की दो गुणा एवं निर्धारित दर के
उपरिखण्ड वगणितार शामिल किए जावेंगे।

उक्त को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन पत्रावली सं. एफ-2/3/लागत/1015-ए
की नोट शीट पैरा 696/एन पर प्राप्त है।

29/7/2002
वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक:-एफ-2/3/लागत/1015-ए/ 6/0-219 दिनांक:- 29/7/2002

प्रतिलिखित निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवातन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/मुख्य लेखाधिकारी/व.लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/
चतुर्थ, रा.आ.म., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय-----, रा.आ.म.
4. मुख्य सचिव/प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर।
5. समस्त सम्यक् लेखाधिकारी-----
6. समस्त उप आवातन आयुक्त-----
7. समस्त आवासीय अभियन्ता-----
8. जन सचिव अधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।

29/7/02
वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रथम)

RAJASTHAN HOUSING BOARD: JAIPUR.OFFICE ORDER

The land and development rates for the year 2003-2004 (effective from 16.8.2003 to 30.6.2004) are approved as under subject to the conditions mentioned below :-

Sr.No.	Name of Scheme	Land and Development Rate approved for the year 2003-2004. (Per Sqm.)	
		(MIG-A) Residential	Commercial
01.	Pratap Nagar, Sanganer	685/-	3245/-
02.	Mansarovar, Jaipur	1200/-	5160/-
03.	Tonk	675/-	2900/-
04.	Van Vihar	475/-	2040/-
05.	Nahri-Ka-Naka	1340/-	5760/-
06.	Lal Kothi	1595/-	6855/-
07.	Ghat Ki Guni	475/-	2040/-
08.	Malviya Nagar, Jaipur	1500/-	6445/-
09.	Jawahar Nagar, Jaipur	1650/-	7090/-
10.	Indira Nagar, Jagatpura	815/-	3505/-
11.	Gupteshwar Road, Dausa	595/-	2730/-
12.	Sawai Madhopur	460/-	1980/-
13.	Alanpur, Sawai Madhopur	570/-	2450/-
14.	Sikar (old) Scheme	900/-	3870/-
15.	Shivsinghpura, Sikar	660/-	2840/-
16.	Churu	495/-	2545/-
17.	Jhunjhunu (old)	825/-	3545/-
18.	Jhunjhunu (new)	730/-	3140/-
19.	C.E.B., Alwar	1280/-	5500/-
20.	S.W.B., Alwar	900/-	3870/-
21.	N.E.B. Extn., Alwar	520/-	2475/-

(2)

22.	10-E, Alwar	600/-	2580/-
23.	N.E.B.Compl., Alwar	800/-	3440/-
24.	Shanta Kunj, Alwar	900/-	3870/-
25.	N.E.B., Alwar	800/-	3440/-
26.	Krishna Nagar, Bharatpur	1190/-	5115/-
27.	S.T.C., Bharatpur	660/-	2840/-
28.	Jawahar Nagar, Bharatpur	1190/-	5115/-
29.	Bhiwadi	960/-	4500/-
30.	Milakpur Gurjar, Bhiwadi	865/-	3720/-
31.	Bhiwadi Sec.4 & 7.	860/-	4085/-
32.	Dholpur	550/-	2365/-
33.	Pavanpuri, Bikaner	635/-	2730/-
34.	Pavanpuri Extn., Bikaner	635/-	2730/-
35.	Mukta Prasad Nagar, Bikaner	480/-	2280/-
36.	Suratgarh	265/-	1270/-
37.	Nagaur	495/-	2130/-
38.	Shyam Nagar, Ganganagar	375/-	1615/-
39.	Jawahar Nagar, Ganganagar	340/-	1465/-
40.	Hanumangarh	270/-	1290/-
41.	Hiran Magri, Udaipur	1200/-	5160/-
42.	Goverdhan Vilas, Udaipur	850/-	4020/-
43.	Goverdhan Vilas Extn., Udaipur	850/-	4020/-
44.	Paneriyon Ki Madri, Udaipur	850/-	4020/-
45.	Paneriyon Ki Madri Extn.	850/-	4020/-
46.	Sukhadia Nagar, Nathdwara	900/-	3870/-
47.	Sabina Khara	845/-	3635/-
48.	Nathdwara	815/-	3505/-
49.	Pratap Nagar (Sindhi Samaj) Udaipur.	620/-	2945/-

Contd.....3/

50.	Govind Nagar, Rajsamand	390/-	1675/-
51.	Govind Nagar Extn., Rajsamand	390/-	1675/-
52.	Dungarpur	710/-	3050/-
53.	Indira Nagar, Dungarpur	710/-	3050/-
54.	Dungarpur Extn.	710/-	3050/-
55.	Shivaji Nagar Extn, Ph-III, Dungarpur	710/-	3050/-
56.	Pratapgarh, Udaipur	330/-	1570/-
57.	Mahi Colony, Banswara	550/-	2365/-
58.	Mahi Colony Extn.	660/-	2840/-
59.	Mahi Sarovar, Banswara	680/-	2925/-
60.	Shastri Nagar, Bhilwara	900/-	3870/-
61.	Shastri Nagar Extn.	900/-	3870/-
62.	Bapu Nagar, Bhilwara	500/-	2150/-
63.	Chandra Shekhar Azad Nagar, Bhilwara	330/-	1570/-
64.	Kumba Nagar, Chittorgarh	550/-	2365/-
65.	Pratap Nagar, Chittorgarh	550/-	2365/-
66.	Bapu Nagar, Chittorgarh	550/-	2365/-
67.	Chandaria, Chittorgarh	410/-	1955/-
68.	Gandhi Nagar, Chittorgarh	550/-	2365/-
69.	Sainti (SFS), Chittorgarh	560/-	2665/-
70.	Sainti (Segva Road)	405/-	1740/-
71.	Raila	315/-	1360/-
72.	Gulabpura	375/-	1620/-
73.	Nimbahera	280/-	1335/-
74.	Dadabari, Kota	1065/-	4580/-
75.	Dadabari Extn., Kota	905/-	3890/-
76.	Talvandi, Kota	780/-	3355/-
77.	Keshopura, Kota	590/-	2535/-

Contd....4/

(4)

78.	Vallabh Bari, Kota	1095/-	4705/-
79.	Vigyan Nagar, Kota	1065/-	4580/-
80.	Mahaveer Nagar, Kota	780/-	3355/-
81.	Ganesh Talab, Kota	815/-	3505/-
82.	Sabermati, Kota	905/-	3690/-
83.	Rangbari, Kota	1130/-	5180/-
84.	Sakatpura, Kota	150/-	645/-
85.	Kunhari, Kota	790/-	3395/-
86.	Jawahar Nagar, Bundi	545/-	2345/-
87.	Vikas Nagar, Bundi	600/-	2580/-
88.	Swami Vivakanand Nagar, Kota	620/-	2665/-
89.	Bhawani Mandi, Kota	380/-	1805/-
90.	Sunel	425/-	2020/-
91.	Ranganj Mandi	395/-	1765/-
92.	Baran	355/-	1675/-
93.	Jhalawar	415/-	1980/-
94.	Chopasani Road, Jodhpur	670/-	6000/-
95.	Pratap Nagar, Jodhpur	795/-	3415/-
96.	Madhuvan, Jodhpur	415/-	1785/-
97.	Bhagat Ki Kothi, Jodhpur	795/-	3415/-
98.	Kuri Bhagtasani, Jodhpur	415/-	1855/-
99.	Balotra	390/-	1675/-
100.	Sivana	255/-	1205/-
101.	Sirohi	330/-	1420/-
102.	Sumerpur	255/-	1205/-
103.	Kamla Nehru Nagar, Pali	370/-	1590/-
104.	New Housing Scheme, Pali	310/-	1335/-
105.	Ana Sagar, Amer	590/-	2535/-
106.	Akra Bhata, Abu Road	460/-	1980/-

(5)

107. Vaishali Nagar, Ajmer	660/-	2340/-
108. Dhola Bhata, Ajmer	420/-	1805/-
109. Ajay Nagar, Ajmer	590/-	2535/-
110. Naka Madar, Ajmer	550/-	2600/-
111. Panchsheel, Ajmer	585/-	4025/-
112. Daurai, Ajmer	530/-	2515/-
113. Kishangarh	670/-	2880/-
114. Kishangarh Extn.	670/-	2880/-
115. Saket Nagar, Beawar	350/-	1505/-
116. Saket Nagar Extn., Beawar	450/-	1935/-
117. Gari Thoriyan	445/-	2105/-

Above land and development rates are subject to following conditions :-

1. These rates (Residential) shall be applicable for MIG 'A' Category. For E.W.S. & L.I.G. Category the rate shall be reduced by 5% & 10% respectively. For MIG-B & MIG Category the rate will be enhanced by 5% & 10% respectively.
2. Overhead Charges shall be levied on land & development cost at the time of costing, categorywise.
3. For residential land and for commercial land, lease money @ 2.5% & @ 5% shall be charged respectively. Lease Money amount shall be recoverable from the date of handing over possession of house / land.
4. For extra land additional amount of 50% of land rate shall be recoverable.
5. For residential land put into auction, reserve price shall be double the reserve price of the particular category and overheads shall be levied on it.
6. In case any expenditure is to be incurred upto 30.6.2004, which has not been included in the cost data earlier sent, proposals for revision of land & development cost of the particular scheme shall be submitted to the undersigned by the concerned Dy. Housing Commissioner.

(6)

This bears the approval of the Chairman dated 30.7.2003 at para 77/N & 78/N of file No. F2 (3)/Costing/2003-2004/124.


(KULDEEP SHARMA)
HOUSING COMMISSIONER

No. F2 (3)/Costing/2003-04/124/215

Date: 14-8-2003

Copy to the following for information and necessary action :

1. PS to Chairman/Housing Commissioner, RHB, Jaipur.
2. PS to Chief Engineer, RHB, Jaipur.
3. SrPA to Addl. Chief Engineer _____, RHB, _____.
4. SrPA to FA & CAO, RHB, Jaipur.
5. SrPA to Secretary, RHB, Jaipur.
6. All Dy. Housing Commissioner _____, RHB, _____.
7. All Resident Engineer, Div. _____, RHB, _____.
8. Chief Estate Manager, RHB, Jaipur.
9. All Estate Manager, _____, RHB, _____.
10. Sr. Accounts Officer-I/II/III/IV/V, RHB, Jaipur.
11. Accounts Officer _____, RHB, _____.
12. Master file.

21 - 2/14
14
7R3
FA & CHIEF ACCOUNTS OFFICER
RAJASTHAN HOUSING BOARD,
JAIPUR.

: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-एफ.2/3/लागत/1024/244

दिनांक : 27-8-2003

-: संशोधन - पत्र :-

कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ/2/3/लागत/1024/215 दिनांक 14.8.2003 के द्वारा वर्ष 2003-04 के लिये भूमि एवं विकास दर तय कर सूचित कर गये थे। आदेश के पृष्ठ संख्या-5 पर दी गई शर्त संख्या-1 में निम्नलिखित लिखा गया है :-

" For EWS & LIG category the rate shall be reduced by 5% & 10% respectively."

इसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ जाये :-

" For EWS & LIG category the rate shall be reduced by 10% & 5% respectively."

यह संशोधन दिनांक 14.8.2003 से ही प्रभावी माना जायेगा।

वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिरूप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2- व.निजी सहायक-वि.स.एवं मु.लेखाधिकारी/अति.मु.अभियन्ता-----, रा.आ.मं.।
- 3- उप आवासन आयुक्त, राज.आवासन मण्डल, वृत्त.....
- 4- जावासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, सण्ड.....
- 5- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6- वारेण्ट लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7- रक्षित पत्रावली।

वारण्ट लेखाधिकारी-प्रथम

वित्त एवं लागत समिति में विचारणीय बिन्दुओं पर परिचलन द्वारा दिनांक 24-3-2004 को पैरा सं. 41/एन पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

समिति में प्रस्तावित सभी आदेश कार्यालय स्वीकृति हेतु रखे गये थे एवं वर्तमान में इनके अनुसार कार्यवाही की जा रही है :

बिन्दु सं. 1 - गाँधी कुटीर योजना में निर्मित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के आवासों की ब्याज दर कम करने के क्रम में -

गाँधी कुटीर योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के आवासों पर ब्याज दर 12.5% से घटाकर 11% करने सम्बन्धी आदेश क्र. यू.ओ. नोट एफ/2/3/लागत/1018-चतुर्थ/236 दिनांक 9.8.02 को जारी किये जा चुके हैं । जिसका अनुमोदन समिति द्वारा किया गया है ।

बिन्दु सं. 2 - नियमितकरण प्रकरणों के प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि -

मण्डल के विभिन्न आयवर्ग के अपेक्षकों द्वारा नियमितकरण हेतु लिये जाने वाले प्रशासनिक शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	- 3000/-
अल्प आय वर्ग	- 5000/-
मध्यम आय वर्ग "अ"	- 7000/-
मध्यम आय वर्ग "ब"	- 9000/-
उच्च आय वर्ग	- 12000/-

उक्त आदेश क्र. एफ/2/3/लागत/1018-चतुर्थ/152 दिनांक 20-6-02 को जारी किये गये हैं । इसकी कार्यालय स्वीकृति समिति द्वारा दी गई है ।

बिन्दु सं. 3 - नीलामी द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के संशोधित नियम -

मण्डल सम्पत्ति के नीलामी द्वारा निस्तारण के पूर्व प्रचलित नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात नये नियम क्र. एफ-2/3/लागत/72/2002-03/255 दिनांक 20.8.02 को जारी किये गये हैं । इसकी कार्यालय स्वीकृति समिति द्वारा दी गई है ।

31/6/4

बिन्दु सं. 4- मण्डल योजनाओं की भूमि एवं विकास दर वर्ष 2003-04 -

दिनांक 5.7.03 को बोर्ड कक्ष में आवासन आयुक्त की अध्यक्षता में उप आवासन आयुक्तों के साथ हुई बैठक में वर्ष 2003-2004 के लिए भूमि एवं विकास दर का निर्धारण कर आदेश एफ-2/3/लागत/2003-2004/1024/215 दिनांक 14.8.03 को जारी किये गये हैं। इसकी स्वीकृति समिति द्वारा दी गई है।

बिन्दु सं. 5- मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अनिस्तारित आवासों की लागत वैधता अवधि 31.3.2004 तक बढ़ाई जा चुकी थी इसकी कार्य उपरान्त स्वीकृति एवं इसके पश्चात वैधता अवधि 30.6.04 तक बढ़ाने के आदेशाग्री प्रस्ताव रखा गया था -

प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति के साथ ही शेष रहे पूर्व स्वीकृत लागत की वैधता अवधि 30.6.2004 तक बढ़ाई जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 6- मण्डल द्वारा ऑक्टियों से ली जा रही ब्याज एवं शास्ती की दरों में भविष्य में और कमी करने का प्रस्ताव था -

उक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन कर दिया जावे जिसमें निम्नलिखित सदस्य हों :-

- 1- सचिव
- 2- वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी
- 3- तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त
- 4- उप आवासन आयुक्त।पी एण्ड एम।

उक्त समिति अपना प्रतिवेदन आवासन आयुक्त को एक माह में प्रस्तुत करेगी।

१ - ३/४/२५५
वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी

63

राजस्थान 3

क्रमांक:-पा.१।१कार्मिक/परिचलन/प्र.स. 214/1111

दिनांक:- 20/7/04


प्रस्ताव

राजस्थान आवासन मण्डल में लागत सिद्धान्तों के अनुसार मण्डल की विभिन्न योजनाओं की भूमि एवं विकास दर (आरक्षित दर) वर्ष 2004-05 निर्धारित करने के लिये परिचलन संख्या 214 पर संचालक मण्डल के सदस्यों की सहमति स्पष्ट बहुमत से प्राप्त होने पर प्रस्ताव की स्वीकृति स्तद्वारा प्रदान की जाती है।


सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- १। निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मं. जयपुर।
- २। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....
- ३। वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव/वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा. आ. मं. जयपुर।
- ४। संबंधित अधिकारी...../संबंधित प्रकोष्ठ।
- ५। रक्षित पत्रावली।


सचिव

64

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: एफ. 2/3/लागत/1024/150

दिनांक:- 24 July 2004

-:: कार्यालय आदेश ::-

संचालक मण्डल द्वारा

राजस्थान आवासन मण्डल के परिचलन प्रस्ताव संख्या 214 के द्वारा अनुमोदित, मण्डल की सभी योजनाओं की भूमि एवं विकास दर वर्ष 2004-05 के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। ये दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होकर दिनांक - 30.06.2005 तक के लिए प्रभावी रहेंगी:-

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष 2004-05 की भूमि एवं विकास दर ₹ प्र० व० मी० में ₹	
		आवासीय मध्यम आयवर्ग/अ	वाणिज्यिक
1	2	3	4
1.	प्रताप नगर, सोंगानेर	850/-	3655/-
2.	मानसरोवर, जयपुर	1420/-	6105/-
3.	आना सागर, अजमेर	700/-	3010/-
4.	वेशाली नगर, अजमेर	780/-	3355/-
5.	धौला भाटा, अजमेर	495/-	2130/-
6.	अजय नगर, अजमेर	700/-	3010/-
7.	नाका मदार, अजमेर	650/-	2795/-
8.	पंचशील, अजमेर	690/-	4480/-
9.	दौराई, अजमेर	625/-	2685/-
10.	किशनगढ़	790/-	3395/-
11.	किशनगढ़ विस्तार	790/-	3395/-
12.	साकेत नगर, ब्यावर	415/-	1785/-
13.	साकेत नगर विस्तार, ब्यावर	535/-	2300/-
14.	गढ़ी धौरियान, ब्यावर	525/-	2255/-
15.	जवाहर नगर, जयपुर	1950/-	8380/-
16.	मालवीय नगर, जयपुर	1770/-	7605/-
17.	लाल कोठी, जयपुर	1885/-	8100/-
18.	नाहरी का नाका, जयपुर	1585/-	6810/-
19.	वन विहार, जयपुर	560/-	2410/-
20.	घाट की गुणी, जयपुर	560/-	2410/-
21.	इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा	965/-	4150/-
22.	टोंक	800/-	3440/-
23.	गणेश्वर रोड, दौसा	705/-	3030/-

क्रमशः:-----2

31
23/7



1/2//

24.	सवाई माधोपुर	545/-	2345/-
25.	आलनपुरा, सवाई माधोपुर	675/-	2900/-
26.	सी0ई0बी0, अलवर	1510/-	6490/-
27.	एस0डब्ल्यू0बी0, अलवर	1065/-	4580/-
28.	10-बी, अलवर	710/-	3050/-
29.	एन0ई0बी0, अलवर	945/-	4060/-
30.	एन0ई0बी0 विस्तार, अलवर	615/-	2645/-
31.	एन0ई0बी0 कम्पी0, अलवर	945/-	4060/-
32.	शांताकुंज, अलवर	1065/-	4580/-
33.	कृष्णा नगर, भरतपुर	1405/-	6040/-
34.	एस0टी0सी0, भरतपुर	780/-	3355/-
35.	जवाहर नगर, भरतपुर	1405/-	6040/-
36.	भिवाड़ी	1135/-	4880/-
37.	मिल्कपुर गुर्जर, भिवाड़ी	1020/-	4385/-
38.	भिवाड़ी - सेक्टर-4 व 7	1015/-	4365/-
39.	धोलपुर	650/-	2795/-
40.	सीकर-पुरानी योजना	1065/-	4580/-
41.	एस0एफ0एस0 देवीपुरा, सीकर	1520/-	6535/-
42.	शिव सिंह पुरा, सीकर	780/-	3355/-
43.	शुन्डुतु (पुरानी)	975/-	4190/-
44.	शुन्डुतु (नयी)	865/-	3720/-
45.	चुरू	585/-	2515/-
46.	पवनपुरी, बीकानेर	750/-	3225/-
47.	पवनपुरी विस्तार, बीकानेर	750/-	3225/-
48.	मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	570/-	2450/-
49.	नागौर	585/-	2515/-
50.	सूरतगढ़	315/-	1355/-
51.	हनुमानगढ़	320/-	1375/-
52.	श्याम नगर, गंगानगर	445/-	1915/-
53.	जवाहर नगर, गंगानगर	405/-	1740/-
54.	चौपासनी रोड, जोधपुर	910/-	7035/-
55.	प्रताप नगर, जोधपुर	940/-	4040/-
56.	मधुवन, जोधपुर	490/-	2105/-
57.	भगत की कोठी, जोधपुर	940/-	4040/-
58.	कुड़ी भक्तासनी, जोधपुर ✓	490/- ✓	2105/- ✓
59.	बालोतरा	460/-	1980/-
60.	सिवाना	300/-	1290/-
61.	सिरोही	420/-	1805/-
62.	सुमेरपुर	300/-	1290/-

क्रमशः - - - - - 3

2-247

63.	कमला नेहरू नगर, पाली	440/-	1890/-
64.	नई आवासीय योजना, पाली	365/-	1570/-
65.	अकरा भाटा, आबू रोड	745/-	3205/-
66.	दादा बाड़ी, कोटा	1260/-	5415/-
67.	दादा बाड़ी विस्तार, कोटा	1070/-	4600/-
68.	तलवन्डी, कोटा	920/-	3955/-
69.	केशोपुरा, कोटा	700/-	3010/-
70.	बल्लभ बाड़ी, कोटा	1295/-	5565/-
71.	विज्ञान नगर, कोटा	1260/-	5415/-
72.	महावीर नगर, कोटा	920/-	3955/-
73.	महावीर नगर एस0एफ0एस0 (88 आवासीय)	1105/-	4750/-
74.	गणेश तालाब, कोटा	965/-	4150/-
75.	सावरमती, कोटा	1070/-	4600/-
76.	रंगबाड़ी, कोटा	1335/-	5740/-
77.	सकतपुरा, कोटा	180/-	775/-
78.	कुन्हाड़ी, कोटा	935/-	4020/-
79.	जवाहर नगर, बूंदी	645/-	2775/-
80.	विकास नगर, बूंदी	710/-	3050/-
81.	स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा	735/-	3160/-
82.	भवानी मण्डी, कोटा	450/-	1935/-
83.	सुनैल	505/-	2170/-
84.	रामगंज मण्डी, कोटा	470/-	2020/-
85.	बारों	420	1805/-
86.	झालावाड़	490/-	2105/-
87.	हिरन मगरी, उदयपुर	1420/-	6105/-
88.	गोवर्धन विलास, उदयपुर	1005/-	4320/-
89.	गोवर्धन विलास विस्तार, उदयपुर	1005/-	4320/-
90.	फानेरियों की मादड़ी, उदयपुर	1005/-	4320/-
91.	फानेरियों की मादड़ी, विस्तार, उदयपुर	1005/-	4320/-
92.	सुखाड़िया नगर, नाथद्वारा	1065/-	4580/-
93.	सविना खैरा	1000/-	4300/-
94.	नाथद्वारा	965/-	4150/-
95.	प्रताप नगर सिन्धी समाज, उदयपुर	735/-	3160/-
96.	गोविन्द नगर, राजसमन्द	460/✓	1980/-
97.	गोविन्द नगर विस्तार, राजसमन्द	460/-	1980/-
98.	डूंगरपुर	840/-	3610/-
99.	डूंगरपुर विस्तार	840/-	3610/-
100.	इंदिरा नगर, डूंगरपुर	840/-	3610/-
101.	शिवाजी नगर विस्तार, फेज तृतीय	840/-	3610/-

//4//

102.	प्रतापगढ़, उदयपुर	390/-	1680/-
103.	माही कॉलोनी, बांसवाड़ा	650/-	2795/-
104.	माही कॉलोनी विस्तार, बांसवाड़ा	780/-	3355/-
105.	माही सरोवर, बांसवाड़ा	805/-	3460/-
106.	शास्त्री नगर, भीलवाड़ा	1065/-	4580/-
107.	शास्त्री नगर विस्तार, भीलवाड़ा	1065/-	4580/-
108.	बापू नगर, भीलवाड़ा	590/-	2540/-
109.	चन्द्रशेखर अजाद नगर, भीलवाड़ा	390/-	1680/-
110.	कुंभा नगर चित्तौड़गढ़	650/-	2795/-
111.	प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़	650/-	2795/-
112.	बापू नगर, चित्तौड़गढ़	650/-	2795/-
113.	चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	485/-	2085/-
114.	गांधी नगर, चित्तौड़गढ़	650/-	2795/-
115.	सेती - (एस्ओएफओएस्ओ)	660/-	2835/-
116.	सेती-सैगवा रोड़	480/-	2065/-
117.	रायला	375/-	1615/-
118.	गुलाबपुरा	445/-	1915/-
119.	निम्बाहेड़ा	330/-	1420/-

- नोट - यदि पूर्व प्रेषित आर्किडों के अलावा किसी योजना में वर्ष 2004-05 (जून 2005 तक) कोई व्यवसाय किया जाना है, तो भूमि एवं विकास दर संशोधित करने के प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल भिजवायें। उपरोक्त भूमि एवं विकास दरें निम्न शर्तों के साथ लागू मानी जावेगी:-
1. उपरोक्त आरक्षित दरें (रिहायशी) मध्यम आयवर्ग (अ) के लिए होगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में से 10% एवं अल्प आयवर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 5% की छूट की जावेगी। मध्यम आयवर्ग (ब) एवं उच्च आयवर्ग हेतु उपरोक्त में क्रमशः 5% एवं 10% की वृद्धि की जावेगी।
 2. भूमि एवं विकास दर की लागत गणना करते समय उपरिच्यय वर्गानुसार वसूल किये जावेगे।
 3. आवासीय भूमि के लिए लीज आरक्षित दर राशि की 2.5% होगी। वाणिज्यिक भूमि के लिए लीज की राशि आरक्षित दर की 5% ली जावेगी। लीज की राशि आवास/ भूखण्ड के कब्जे की दिनांक से नियमानुसार वसूलनीय होगी।
 4. अतिरिक्त भूमि हेतु एवं विकास दर की गणना निर्धारित दर की 50% अतिरिक्त वसूलनीय होगी।
 5. आवासीय भूखण्ड की नीलामी हेतु संबंधित श्रेणी के भूखण्ड की आरक्षित दर हेतु निर्धारित आरक्षित दर की दो गुणा एवं निर्धारित दर के उपरिच्यय वर्गानुसार शामिल किये जावेगे।


आवासान आयुक्त

//5//

68

क्रमांक एफ02/3/लागत/1024/ 150

दिनांक: - 24.7.2004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- आवासन आयुक्त/ मुख्य अभियन्ता, राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक- सचिव/ वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0म0, जयपुर।
4. निजी सहायक- अति0मुख्य अभियन्ता, , राज0आ0म0,
5. उप आवासन आयुक्त, वृत- समस्त, राज0आ0म0,
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड , राज0आ0म0,
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
8. सम्पदा प्रबन्धक, वृत- , राज0आ0म0,
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, , राज0आवा0मण्डल,
10. लेखाधिकारी, , राज0आ0म0,
11. रक्षित पत्रावली ।

2/ - - 2/ -
23rd July, 2004
वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी,
राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक-एफ2(3)/लागत/1028/240

दिनांक-9-9-05

कार्यालय आदेश

69

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 20.8.2005 की बैठक संख्या 199 के बिन्दू संख्या 199.3 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अनुमोदित मण्डल की सभी योजनाओं की भूमि एवं विकास दर वर्ष 2005-06 के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। यह दरें दिनांक 01.07.2005 से दिनांक 30.06.2006 तक मान्य होंगी।

क्र०स०	योजना का नाम	वर्ष 2005-06 की भूमि एवं विकास दर (प्रति 1000 मी० में)	
		आवासीय म0अ0व0'अ'	वाणिज्यिक
	जयपुर वृत्त प्रथम, जयपुर		
1	प्रताप नगर, सांगनेर	1005	4320
	जयपुर वृत्त द्वितीय, जयपुर		
2	मानसरोवर, जयपुर	1680	7220
3	जाना सागर अजमेर	830	3570
4	वैशाली नगर अजमेर	920	3955
5	पौला माटा अजमेर	585	2515
6	अजय नगर अजमेर	830	3570
7	नाका मदार, अजमेर	770	3310
8	पंचशाली, अजमेर	815	5290
9	दीराई, अजमेर	740	3180
10	किशनगढ़	935	4020
11	किशनगढ़ विस्तार	935	4020
12	साजेत नगर व्यावर	490	2105
13	साजेत नगर विस्तार व्यावर	635	2730
14	गढी धोरियान, व्यावर	620	2665
	जयपुर वृत्त तृतीय, जयपुर		
15	जवाहर नगर जयपुर	2305	9905
16	मालवीय नगर जयपुर	2090	8980
17	लाल कोठी जयपुर	2225	9560
18	नाहरी का नाका जयपुर	1870	8035
19	वन विहार जयपुर	665	2860
20	माट की मुष्ठी, जयपुर	665	2860
21	इन्दिरा गांधी नगर जयपुर	1140	4900
22	टौक	1195	5135
23	मुप्तेश्वर रोड दीसा	835	3590
24	सवाईमाधोपुर, स्काउट फिन्ड	920	3955
25	आलनपुर, सवाईमाधोपुर	1040	4470
26	कोटपुतली	985	4235
	अलवर वृत्त, अलवर		
27	सी0ई0बी0अलवर	1785	7670
28	एस डब्ल्यू बी अलवर	1260	5415
29	10-बी अलवर	840	3610
30	एन ई बी अलवर	1120	4815
31	एन ई बी विस्तार अलवर	770	3310
32	एन ई बी कम्पी0अलवर	1120	4815
33	शांतिकुंज अलवर	1260	5415
34	कृष्णा नगर भरतपुर	1660	7135

212 कर

1115 4725

955 4105
920 5745
1000 4300

1555 6485

765 3030

8006

2108

कमरा!.....2

35	एस टी सी भरतपुर	920	3955
36	जवाहर नगर भरतपुर	1660	7135
37	गिवाडी	1340	5760
38	मिल्कपुर गुर्जर गिवाडी	1205	5180
39	गिवाडी सेक्टर 4 व 7	1305	5610
40	घीलपुर	770	3310
41	सीकर (पुरानी योजना)	1260	5415
42	एस एफ एस देवीपुरा,सीकर	1795	7715
43	शिव सिंह पुरा सीकर	1025	4405
44	झुंझनु (पुरानी)	1155	4965
45	झुंझनु (नयी)	1110	4770
46	धुरु	690	2965
	बीकानेर वृत्त बीकानेर		
47	पवनपुरी, बीकानेर	885	3805
48	पवनपुरी विस्तार, बीकानेर	885	3805
49	मुक्तापुराद नगर बीकानेर	715	3075
50	नागीर	690	2965
51	सुरतगढ़	375	1615
52	हनुमानगढ़	380	1635
53	श्याम नगर, मंगानगर	525	2260
54	जवाहर नगर मंगानगर	480	2065
	जोधपुर वृत्त, जोधपुर		
55	बीपारानी रोड, जोधपुर	3115	17075
56	प्रताप नगर, जोधपुर	1110	4770
57	भयुवन, जोधपुर	580	2495
58	भगत की कोठी, जोधपुर	1110	4770
59	कुडी भगतसानी जोधपुर	665	2860
60	बालोतरा	545	2345
61	सिबाना	355	1525
62	सिरोही	500	2150
63	सुमेरपुर	355	1525
64	कमला नेहरू नगर,पाली	520	2235
65	नई आवासीय योजना पाली	435	1870
66	आकरा भाटा,आबू रोड	880	3785
67	मानपुरा योजना आबू रोड	545	2345
	कोटा वृत्त कोटा		
68	दादा बाड़ी कोटा	1490	6405
69	दादा बाड़ी विस्तार कोटा	1490	6405
70	तलवडी कोटा	1090	4685
71	केशोपुरा, कोटा	830	3570
72	बल्लभ बाड़ी, कोटा	1530	6575
73	विज्ञान नगर,कोटा	1490	6405
74	महावीर नगर कोटा	1090	4685
75	महावीर नगर एस एफ एस(88 आवास)	1305	5610
76	गणेश तालाब कोटा	1140	4900
77	साबरमती कोटा	1265	5435
78	रंगवाडी कोटा	1575	6770
79	साकतपुरा, कोटा	215	925
80	कुन्हाडी कोटा	1105	4750
81	जवाहर नगर, बुन्दी	765	3290
82	विकास नगर बुन्दी	840	3610

70

2255 8315

1935 8315

935 4020

745 3205

920 3955

2595 11150

965 4150

4000
2000

83	स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा	870	3740
84	भवानी मंडी	535	2300
85	सुनैल	600	2580
86	रामगंज मंडी	555	2385
87	बारों	500	2150
88	रामचन्द्रपुरा कोटा	480	2065
89	झालावाड़	580	2495
	उदयपुर वृत्त उदयपुर		
90	हिरनवगरी , उदयपुर	1680	7220
91	गोवर्धन विलास, उदयपुर	1190	5115
92	गोवर्धन विलास विस्तार, उदयपुर	1190	5115
93	पानोरिसों की मादड़ी उदयपुर	1190	5115
94	सुखादिया नगर नाथदास	1190	5115
95	पानोरिसों की मादड़ी विस्तार उदयपुर	1260	5415
96	तापिना खैरा	1180	5070
97	नाथदास	1140	4900
98	प्रतान नगर सिन्धी समाज उदयपुर	870	3740
99	गोविन्द नगर राजसमन्द	545	2345
100	गोविन्द नगर विस्तार राजसमन्द	545	2345
101	डूंगरपुर	995	4275
102	डूंगरपुर विस्तार	995	4275
103	इन्दिरा नगर, डूंगरपुर	995	4275
104	शिवाजी नगर विस्तार, फेज तृतीय	995	4275
105	प्रतापगढ़ उदयपुर	460	1980
106	माही कालोनी बांसवाड़ा	770	3310
107	माही कालोनी विस्तार बांसवाड़ा	920	3955
108	माही सरोवर बांसवाड़ा	950	4085
109	शास्त्री नगर भीलवाड़ा	1260	5415
110	शास्त्री नगर विस्तार भीलवाड़ा	1260	5415
111	बापू नगर , भीलवाड़ा	700	3010
112	चन्द्रोखर आजाद नगर भीलवाड़ा	460	1980
113	कुंभा नगर चित्तौड़गढ़	770	3310
114	प्रताप नगर चित्तौड़गढ़	770	3310
115	बापू नगर चित्तौड़गढ़	770	3310
116	चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	575	2475
117	गांधी नगर चित्तौड़गढ़	770	3310
118	सेती-(एस एफ एस)	780	3355
119	सेती-सेगवा रोड	570	2450
120	रीथला	445	1915
121	गुलाबपुरा	525	2260
122	निम्बाहेड़ा	390	1680
123	परतापुर उदयपुर	575	2475

815 3505

एलएल
गए

नोट- यदि पूर्व प्रेषित आर्कडों के अलावा किसी योजना में वर्ष 2005-06 (जून 2005 तक) कोई व्यय किया जाना है, तो भूमि एवं विकास दर संशोधित करने के प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल भिजवायें। उपरोक्त भूमि एवं विकास दरें निम्न शर्तों के लागू मानी जावेगी:-

- 1 उपरोक्त आरक्षित दरें (रिहायशी) मध्यम आय वर्ग(अ) के लिए होगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में से 10 प्रतिशत एवं अल्प आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 5 प्रतिशत की छूट की जावेगी। मध्यम आय वर्ग(ब) एवं उच्च आय वर्ग हेतु उपरोक्त में क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
- 2 भूमि एवं विकास दर की लागत गणना करते समय उपरिख्य वर्गानुसार वसूल किये जावेंगे।
- 3 आयातीय भूमि के लिए लीज आरक्षित दर राशि की 2.5 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक भूमि

कमला...4

कार्यालय-आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की परिचालन संख्या 225/05 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में मण्डल की विभिन्न योजनाओं की संस्थानिक भूमि एवं विकास दर वर्ष 2005-06 के लिए निम्नानुसार संशोधित की जाती है। यह दरें 30.6.2006 तक प्रभावी रहेंगी।

इस संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ2/3/लागत/1028/267 दिनांक 19.9.05/21.9.05 के द्वारा निर्धारित संस्थानिक भूमि एवं विकास दर के आदेशों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2005-06 संस्थानिक की भूमि एवं विकास दर (प्र0व0मी0में)
	जयपुर वृत्त प्रथम, जयपुर	
1	प्रताप नगर, सांगानेर	
	जयपुर वृत्त द्वितीय, जयपुर	1510
2	मानसरोवर, जयपुर	
3	जाना सागर अजमेर	2520
4	बैशाली नगर अजमेर	1245
5	घोला घाटा अजमेर	1380
6	अजय नगर अजमेर	880
7	नाका मदार, अजमेर	1245
8	पंचशाली, अजमेर	1155
9	दौराई, अजमेर	1225
10	किशनगढ	1110
11	किशनगढ विस्तार	1405
12	साकेत नगर व्यावर	1405
13	साकेत नगर विस्तार व्यावर	735
14	गद्दी धोरियान, व्यावर	955
15	नसीराबाद	930
	जयपुर वृत्त तृतीय, जयपुर	1105
16	जवाहर नगर जयपुर	3460
17	मालवीय नगर जयपुर	3135
18	लाल कोठी जयपुर	3340
19	नाहरी का नाका जयपुर	2805
20	वन विहार जयपुर	1000
21	घाट की गुणी, जयपुर	1000
22	हिन्दिरा गांधी नगर जयपुर	1710
23	टोक	1795
24	गुप्तेरवर रोड दीसा	1255
25	सवाईमाधोपुर . स्काउट फ़िल्ड	1380
26	आलनपुर, सवाईमाधोपुर	1560
27	कोटपुवली	1480
	अलवर वृत्त, अलवर	
28	सी0ई0बी0अलवर	2680
29	एस डब्ल्यू बी अलवर	1890
30	10-बी अलवर	1260
31	एन ई बी अलवर	1680
32	एन ई बी विस्तार अलवर	1155
33	एन ई बी कम्पी0अलवर	1680
34	राजवाड़ा अलवर	1890
35	राजवाड़ा अलवर	2490
36	बुष्णा नगर भरतपुर	1380
37	एस टी सी भरतपुर	3385
38	जवाहर नगर भरतपुर	2010
39	मिनाडी	1810
40	मिनाडी	1810

संलग्निका-2

40	मिठाडी सीक्टर 4 व 7	1960
41	घोलपुर	1405
42	सीकर (पुरानी योजना)	1890
43	एस एफ एस देहीपुरा, सीकर	2695
44	शिव सिंह पुरा सीकर	1540
45	मुन्डानु (पुरानी)	1735
46	मुन्डानु (नवी)	1865
47	बुरु	1035
बीकानेर बृच बीकानेर		
48	पवनपुरी, बीकानेर	1330
49	पवनपुरी विस्तार, बीकानेर	1330
50	मुक्तापुसाट नगर बीकानेर	1075
51	नागीर	1035
52	भुरतगढ	565
53	भुरतगढ नई भूमि योजना	795
54	हनुमानगढ	570
55	श्याम नगर, गंगानगर	790
56	जवाहर नगर गंगानगर	720
जोधपुर बृच, जोधपुर		
57	धीपासनी रोड, जोधपुर	4875
58	प्रताप नगर, जोधपुर	1665
59	नयुवन, जोधपुर	870
60	मगत की कोठी, जोधपुर	1685
61	कुडी भगतासनी जोधपुर	1000
62	बालोतरा	820
63	सियाना	535
64	सिरोही	750
65	सुमेरपुर	535
66	कमला नेहरू नगर, पाली	780
67	नई आवासीय योजना पाली	655
68	आकरा माटा, आबू रोड	1320
69	मानपुरा योजना आबू रोड	820
70	फलोदी योजना	645
कोटा बृच कोटा		
71	दादा बाड़ी कोटा	2235
72	दादा बाड़ी विस्तार कोटा	2235
73	वलवडी कोटा	1635
74	केरोपुरा, कोटा	1245
75	बल्लम बाड़ी, कोटा	2295
76	विज्ञान नगर, कोटा	2235
77	महावीर नगर कोटा	1635
78	महावीर नगर एस एफ एस (88 आवास)	1960
79	मनेरा तालाब कोटा	1710
80	साबरमती कोटा	1900
81	रंगवाडी कोटा	3895
82	सकतपुरा, कोटा	325
83	कुन्हाडी कोटा	1660
84	जवाहर नगर, बुन्दी	1150
85	विकास नगर बुन्दी	1260
86	स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा	1305
87	भवानी मडी	805
88	सुनैल	900
89	शमशज मडी	835
90	भारती	750
91	शमचन्दपुरा कोटा	720
92	झालावाड	870

73

guelly

मिठाडी - 3

34

93	उदयपुर वृत्त उदयपुर	
93	हिरण्यगरी, उदयपुर	2520
94	भोकर्यन विलास, उदयपुर	1785
95	भोकर्यन विलास विस्तार, उदयपुर	1785
96	धानोरियों की मादही उदयपुर	1785
97	मुखादिया नगर नाथद्वारा	1785
98	धानोरियों की मादही विस्तार उदयपुर	1890
99	सविना खैरा	1770
100	नाथद्वारा	1710
101	प्रतान नगर सिन्धी समाज उदयपुर	1305
102	भोकिन्द नगर राजसमन्द	820
103	भोकिन्द नगर विस्तार राजसमन्द	820
104	डूंगरपुर	1495
105	डूंगरपुर विस्तार	1495
106	इन्दिरा नगर, डूंगरपुर	1495
107	शिवाजी नगर विस्तार, फेज तृतीय	1495
108	प्रतापगढ़ उदयपुर	690
109	माही कालोनी बांसवाडा	1155
110	माही कालोनी विस्तार बांसवाडा	1380
111	माही सरोवर बांसवाडा	1425
112	शास्त्री नगर भीलवाडा	1890
113	शास्त्री नगर विस्तार भीलवाडा	1890
114	बापु नगर, भीलवाडा	1050
115	चन्द्रोखर आजाद नगर भीलवाडा	690
116	कुंभा नगर चित्तौडगढ़	1155
117	प्रताप नगर चित्तौडगढ़	1155
118	बापु नगर चित्तौडगढ़	865
119	चन्देरिया, चित्तौडगढ़	1155
120	गांधी नगर चित्तौडगढ़	1170
121	सेती-(एस एफ एस)	1225
122	सेती-सेगवा रोड चित्तौडगढ़	670
123	रौयला	790
124	मुलाबपुरा	585
125	निम्बाहेड़ा	865
126	धरतापुर उदयपुर	

- 1 उपरोक्त भूमि विकास दर लेते हुए उस पर 25 प्रतिशत उपरिव्यय कार्यालय आदेश संख्या एक-2 ()लागत/1015-बी/449 दिनांक 22.12.2004 के पृथक से बसूलनीय होंगे।
- 2 संस्थाओं से भूमि आवंटन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों पर 1000/-पंजीयन एवम प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।
- 3 संस्थाओं को आवंटित किये जाने वाले आवंटन पत्र की अन्य शर्तें यथा -सीज, एएलओ सी0 आदि पूर्वानुसार यथावत् रहेंगे।
- 4 वर्ष के दौरान उपरोक्त स्वीकृत दरों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो सम्बन्धित संशोधित दरें तदानुसार मान्य होंगी।

[Signature]
वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2 निदेशक-विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4 वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राज.आवा.मंडल, जयपुर।
- 5 उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त.....
- 6 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 7 व.निजी सहायक-वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी/सचिव, राज.आव.मंडल, जयपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली

[Signature]
वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

आवासन विभाग

क्रमांक-एक/2(3)/लागत/1028/267

कार्यालय आदेश

दिनांक- 21.11.2015

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 20.8.2005 की बैठक संख्या 199 के विन्दु संख्या 199.2 में दिये गये निर्णय की अनुपालना में, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पंजीकृत संस्थानों को आवासन की जाने वाली भूमि के लिए मण्डल की सभी योजनाओं की संस्थानिक भूमि एवं विकास दर वर्ष 2005-06 के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। यह दरें दिनांक 01.07.05 से 30.06.2006 तक के लिए प्रभावी रहेंगी:-

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2005-06 की भूमि एवं विकास दर (प्रत्येक मीटर) संस्थानिक
1	जयपुर वृत्त प्रथम, जयपुर	3150
2	पताप नगर, सांगनेर	
3	जयपुर वृत्त द्वितीय, जयपुर	9000
4	मानसरोवर, जयपुर	5815
5	अना सागर अजमेर	5815
6	श्रीशाली नगर अजमेर	1945
7	पीला गाटा अजमेर	2590
8	अजय नगर अजमेर	2155
9	नाका मयार, अजमेर	2695
10	पंचशाल, अजमेर	1780
11	दौसाई, अजमेर	1620
12	किराणगढ	1405
13	किराणगढ विस्तार	2020
14	साकेत नगर व्यावर	955
15	साकेत नगर विस्तार व्यावर	1135
16	गढ़ी धौरिया, व्यावर	
17	जयपुर वृत्त तृतीय, जयपुर	11475
18	जवाहर नगर जयपुर	11475
19	मालवीय नगर जयपुर	13500
20	ताल कोठी जयपुर	9450
21	माहरी का नाका जयपुर	4950
22	वन विहार जयपुर	7650
23	घाट की गुणी, जयपुर	3150
24	इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा	1795
25	टौक	3235
26	गुणोरवर रोड दौसा	1380
27	सायाई माधोपुर, स्काउट फिल्ड	1560
28	आलनपुर, सायाई माधोपुर	1480
29	कोटपूरली	
30	अलवर वृत्त, अलवर	2680
31	सी0ई0पी0अलवर	3750
32	एस डब्ल्यू डी अलवर	1260
33	10-वी अलवर	2700
34	एन डी डी अलवर	

यह आदेश कार्यालय को के 384 दिनांक 21.11.2015 द्वारा निरस्त का संशोधन दे निर्धारित की जाय.

कमेश...

ACCOUNTS OFFICER (COE)

31	एन ई बी विस्तार अलवर	1650
32	एन ई बी फगपी0अलवर	3750
33	शौतागुंज अलवर	3300
34	कृष्णा नगर भरतपुर	3070
35	एस टी सी भरतपुर	3070
36	जवाहर नगर भरतपुर	4035
37	निवाड़ी	4035
38	गिल्कपुर गुर्जर निवाड़ी	1810
39	निवाड़ी सैक्टर 4 व 7	4035
40	धौलपुर	1155
41	सीकर (पुरानी योजना)	1890
42	एस एफ एस देवीपुर, सीकर	2695
43	शिव सिंह पुत्र सीकर	1540
44	सुन्झनु(पुरानी)	1950
45	सुन्झनु(नयी)	1670
46	धुरू	1050
	भीकानेर वृत्त भीकानेर	2425
47	पवनपुरी, भीकानेर	3235
48	पवनपुरी विस्तार, भीकानेर	2425
49	मुक्तापुराद नगर भीकानेर	1620
50	गागौर	760
51	सुरतगढ़	855
52	हनुमानगढ़	790
53	श्याम नगर, गंगानगर	2280
54	जवाहर नगर गंगानगर	
	जोधपुर वृत्त, जोधपुर	4675
55	चौधसानी रोड, जोधपुर	1665
56	प्रताप नगर, जोधपुर	2250
57	गधुपन, जोधपुर	3000
58	भगत की कोठी, जोधपुर	2250
59	कुडी गगतासनी जोधपुर	820
60	मालोतरा	535
61	शिवाना	5040
62	सिरोही	2425
63	सुमेरपुर	4680
64	कगला नेहरू नगर,पाली	4200
65	नई आवासीय योजना पाली	1780
66	आकरा माटा,आबू रोड	2115
67	गानपुरा योजना आबूरोड	
	कोटा वृत्त, कोटा	2235
68	दादा बाड़ी कोटा	6055
69	दादा बाड़ी विस्तार कोटा	8880
70	तलवडी कोटा	5575
71	केशोपुरा, कोटा	7270
72	बल्लम बाड़ी, कोटा	7590
73	विज्ञान नगर,कोटा	7270
74	महावीर नगर कोटा	

(Handwritten signature)

87

महावीर नगर एस एफ एस(88 आवास)

75	मनेस तालाब कोटा	5815
76	साबरमती कोटा	5010
77	रंगवाडी कोटा	3960
78	राजपुरा, कोटा	4765
79	मुन्दाडी कोटा	3390
80	अकाहर नगर, बुन्दी	1660
81	विकास नगर बुन्दी	1215
82	स्वामी दिवेकानन्द नगर कोटा	3235
83	मरानी मंडी	3555
84	मुनैस	805
85	राजपंज मंडी	900
86	बाली	835
87	राजपंजपुरा कोटा	2020
88	अलाबाद	4035
89	उदयपुर वृष उदयपुर	870
90	हिरनमगरी, उदयपुर	
91	गोवर्धन विलास, उदयपुर	4845
92	गोवर्धन विलास विस्तार, उदयपुर	4035
93	पानोरियों की मादडी उदयपुर	4035
94	मुखाडिया नगर नाथद्वारा	4035
95	पानोरियों की मादडी विस्तार उदयपुर	3390
96	सविना खैरा	3235
97	नाथद्वारा	3235
98	प्रताप नगर सिन्धी समाज उदयपुर	3390
99	गोविन्द नगर राजसमन्द	2910
100	गोविन्द नगर विस्तार राजसमन्द	820
101	डूंगरपुर	820
102	डूंगरपुर विस्तार	2490
103	इन्दिरा नगर, डूंगरपुर	2490
104	शिवाजी नगर विस्तार, फेज तृतीय	2490
105	प्रतापगढ़ उदयपुर	2490
106	माही कालोनी बांसवाड़ा	810
107	माही कालोनी विस्तार बांसवाड़ा	1500
108	माही सरोवर बांसवाड़ा	1380
109	शास्त्री नगर भीलवाड़ा	1500
110	शास्त्री नगर विस्तार भीलवाड़ा	5715
111	बापु नगर, भीलवाड़ा	2685
112	बन्दीखर आजाद नगर भीलवाड़ा	2520
113	दुभा नगर चित्तौड़गढ़	2070
114	प्रताप नगर चित्तौड़गढ़	2800
115	बापु नगर चित्तौड़गढ़	3615
116	बन्दीखा, चित्तौड़गढ़	1155
117	गांधी नगर चित्तौड़गढ़	2910
118	सेती-(एस एफ एस)	2630
119	सेती-सैगवा रोड	2425
120	सैयदा	1290
		670

५५५५

अमरा:-----५

ACCOUNTS OFFICER (COST)

121	गुलाबपुरा	1080
122	निम्बाहेडा	1215
123	गरतापुर उदयपुर	865

- 1 उपरोक्त भूमि विकास दर लेते हुए उस पर 25 प्रतिशत उपरिष्ठाग कागोत्तम आदेश मन्थन एक 2.2.2004 दिनांक 22.12.2004 के पृथक से वसूलनीय होंगे।
- 2 संस्थाओं से भूमि आवंटन हेतु प्राप्त होने वाले आवंटनों पर 1000/- पञ्जीयन एवम पोसेसिंग शुल्क लिया जायगा।
- 3 संस्थाओं को आवंटित किये जाने वाले आवंटन पत्र की अन्य शर्तें यथा - लीज, एओएराओ सीओ आदि पूर्ण पुराने पत्रों के अनुसार होंगी।
- 4 वर्ष के दौरान उपरोक्त स्वीकृत दरों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो सम्बन्धित संशोधित दर उपरोक्त दरों के अनुसार होगी।

उक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वि.रा.ए.व. मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2 निदेशक-विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4 वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राज.आवा.मंडल, जयपुर।
- 5 उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त.....
- 6 निजी सचिव-अध्यक्ष/आयुक्त अम्युक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 7 व.निजी सहायक-वि.स.ए.व. मुख्य लेखाधिकारी/सचिव, राज.आवा.मंडल, जयपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली

M/F

वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथम

RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR.

No.F2(3)/Costing/793/449.

Date:- 21.12.05

OFFICE ORDER

The Reserve Price of commercial and institutional properties to be sold through auction/allotted at Rajangan Scheme-Pratap Nagar-Sanganer is conveyed as under:-

.....
FOR COMMERCIAL: (Rate in Per Sqm.)(for the year 2005-06)
(Reserve Price) Rs.13,320/-

.....
FOR INSTITUTIONAL : Rs.4,650/- Per Sqm.)
.....

The validity of the above rate is upto June'2006 from date of issue.

Other terms and conditions will remain same as conveyed vide letter No.F2(3)/Costing/1028/S 240 dt.9.9.2005.

This bears the approval of Hon'ble Chairman on dt. 17.12.2005 in file No.F2(3)/Costing/793 at para 140/N.

YCCG
F.F.& CHIEF ACCOUNTS OFFICER
RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR.

Date:

No.F2(3)/Costing/793/

Copy forwarded to the following for information & n/a. :-

1. PS to Chairman/Housing Commissioner, RHB, Jaipur.
2. PS to Chief Engineer, RHB, Jaipur.
3. SrPA to Secretary/FA&CAO/,RHB, Jaipur.
4. SrPA to Addl.Chief Engineer-I/II/III/P&M, Jaipur/_____.
5. PA to Chief Estate Manager, RHB, Jaipur.
6. Dy.Housing Commissioner, J/C-I, RHB, Jaipur.
7. Resident Engineer, Dn. III, RHB, Sanganer, Jaipur.
8. Estate Manager, J/C-I, RHB, Jaipur.
9. Master file.

M/F

01-12-05
SR.ACCOUNTS OFFICER(I)
RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR.

80

OFFICE ORDER

The land and development rate is hereby finalized upto the period of June'2006 of Mahi Sarovar Extn. Housing Scheme of Banswara as follows -

FOR RESIDENTIAL : (RATE IN PER SQM.)

EWS	LIG	MIG-A	MIG-B	HIG
855/-	905/-	950/-	1000/-	1045/-

FOR COMMERCIAL : (RESERVE PRICE) Rs. 4085/- Per Sqm,

FOR INSTITUTIONAL : Rs. 1425/- Per Sqm.

This bears the approval of Housing Commissioner on 29/11/2005 in file No. F2(3)/Costing/683 at para 186/N.

Other terms and conditions will remain same as conveyed vide letter No. F2(3)/Costing/1028/240 dated 09.9.2005.

F.A. & CHIEF ACCOUNTS OFFICER
RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR.

Date:-

No. F2(3)/Costing/683/

Copy forwarded to the following for information & n.a.pl.:-

1. PS to Chairman/Housing Commissioner/Chief Engineer, RHB, Jaipur.
2. SrPA to Secretary/CAO/Addl. Chief Engineer, RHB, Jaipur.
3. PA to Chief Estate Manager, RHB, Jaipur.
4. Sr.A.O.-I/II/III/IV, RHB, Jaipur.
5. Dy. Housing Commissioner, RHB, Circle-Udaipur.
6. Resident Engineer, Dn. I/II/III, RHB, Udaipur. Duganpur
7. Estate Manager, RHB, Circle-Udaipur.
8. Master file.

SR. ACCOUNTS OFFICER (I)
RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR.

OFFICE ORDER

The land and development rate is hereby finalized upto the period of June'2006 of Housing Scheme Jawahar Nagar-Bundi as follows :-

FOR RESIDENTIAL :- (Rate in Per Sqm.)

EWS	LIG	MIG-A	MIG-B	HIG
870/-	920/-	965/-	1015/-	1065/-

FOR COMMERCIAL :- Rs. 4150/- Per Sqm.
(Reserve Price)

FOR INSTITUTIONAL :- Rs. 1450/- Per Sqm.

NOTE:- Earlier approved land and development rate vide office order No. F2(3)/Costing/1028/240 dt. 9.9.05 of Jawahar Nagar-Bundi is hereby cancelled.

Other terms and conditions will remain same as conveyed vide letter No. F2(3)/Costing/1028/240 dt. 9.9.2005.

This bears the approval of Housing Commissioner on dt. 12.12.2005 in file No. F2(3)/Costing/819 at para 11/N.

P.A. & CHIEF ACCOUNTS OFFICER
RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR.

Date:-

No. F2(3)/Costing/819/

Copy forwarded to the following for information & n.a.pl.:-

1. PS to Chairman/Housing Commissioner/Chief Engineer, RHB, Jaipur.
2. SrPA to Secretary/CAO/Addl. Chief Engineer, RHB, Jaipur/_____
3. PA to Chief Estate Manager, RHB, Jaipur.
4. Sr.A.O.-I/II/III/IV, RHB, Jaipur.
5. Dy. Housing Commissioner, Circle-Kota, RHB, Kota.
6. Resident Engineer, Dn. I/II/III, RHB, Kota.
7. Estate Manager, Circle-Kota, RHB, Kota.
8. Master file.

M/K
61/13
SR. ACCOUNTS OFFICER(I),
RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR.